

Title: Need to provide compensation to the farmers of Chhattisgarh under the Crop Insurance Scheme.

श्री पुन्नु लाल मोहले :अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों जैसे मध्य प्रदेश और गुजरात आदि में फसल बीमा योजना लागू की। छत्तीसगढ़ में धान की फसल बरबाद हो चुकी है। â€ (व्यवधान) छत्तीसगढ़ सहित कई अन्य राज्यों ने फसल बीमा योजना लागू करने के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाए लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ के किसानों ने धान की फसल का बीमा करवाया। उसके बाद वहां सूखा पड़ गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया। वहां के किसानों का अभी तक सर्वे भी हो गया है लेकिन उनकी बरबाद फसल की क्षति-पूर्ति नहीं की गई है जिससे किसान परेशान हैं। वहां के लोगों को ऋण भी नहीं दिया जा रहा है। वहां जो कर्ज माफ करना था या स्थगित करना था, वहां की राज्य सरकार वह काम भी नहीं कर रही है। वहां रबी की फसल के लिए किसान आतुर थे। वहां बिजली और पानी की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। किसानों के पास कर्ज चुकाने के लिए किसी प्रकार के साधन नहीं हैं और न ही पैसा है। केन्द्र सरकार किसानों की क्षति-पूर्ति का पैसा फसल बीमा योजना के अन्तर्गत दिलाए और इसके लिए राज्य सरकार को बाध्य करे।